

प्रेषक

श्रीप्रकाश सिंह,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिकांश अधिकारी, नगर पालिका परिषद-बांगरमऊ, नगर पंचायत-बीधापुर, मोहान, पुरवा, कुरसठ, गंजमुरादाबाद, हैदराबाद, नवाबगंज, जनपद-उन्नाव।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पंचायत-रिठौरा, शाही, मीरगंज, सेंथल शीशगढ़, ठिरिया निजामत खां, जनपद-बरेली।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पंचायत-अर्तारा, बांदा।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पालिका परिषद-एत्मादपुर, आगरा।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पालिका परिषद-देवबन्द, नकुड़ जनपद-सहारनपुर।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पालिका परिषद-ओयल ढकवा, जनपद-खीरी।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पंचायत-तालग्राम, जनपद-कन्नौज।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पंचायत-नरौरा, जनपद-बुलन्दशहर।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पंचायत-गरौठा, जनपद-झांसी।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पालिका परिषद-कोसीकला, जनपद-मथुरा।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पंचायत-बाजना, राया, गोवर्धन जनपद-मथुरा।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पंचायत-सहसपुर, जनपद-बिजनौर।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पंचायत-खरगूपुर, कटरा जनपद-गोण्डा।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पंचायत-अमीनगर सराय, जनपद-बागपत।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पंचायत-अमरौधा, सिकन्दरा जनपद-कानपुर देहात।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पंचायत-सेवरही, खड़का जनपद-कुशीनगर।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पंचायत-दिलदार नगर, जनपद-गाजीपुर।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पंचायत-अशरफपुर किछौछा, जनपद-अम्बेडकरनगर।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पंचायत-नोगंवा सादात, जनपद-अमरौहा।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पालिका परिषद-कांधला, नगर पंचायत-बनत, जनपद-शामली।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पालिका परिषद-लहरपुर, जनपद-सीतापुर।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पालिका परिषद-बहजोई, जनपद-संभल।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पालिका परिषद-सोरो, जनपद-कासगंज।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पालिका परिषद-जलालाबाद, जनपद-शाहजहांपुर।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पंचायत-बिलसण्डा, जनपद-गौलीभीत।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पंचायत-कांठ जनपद-मुरादाबाद।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पंचायत-हरदुआगंज, जनपद-अलीगढ़।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पंचायत-किशनपुर, जनपद-फतेहपुर।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पंचायत-करहल, मैनपुरी।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पंचायत-कछवा, जनपद-मीरजापुर।  
अधिकांश अधिकारी, नगर पंचायत-गौरीबाजार, जनपद-देवरिया।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ :: दिनांक 18 जुलाई, 2013

विषय: वित्तीय वर्ष 2013-14 में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली, 2007 के नियम-14(1) में निम्नलिखित प्राविधान है :-

14-(1) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपण का आगम कोष में विनियोजित किया जायेगा एवं यह आगम उत्तर प्रदेश में

व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के विकास हेतु अनन्त रूप से प्रयुक्त होगा, जिसमें निम्न सम्मिलित है :-

(क) बाजार एवं औद्योगिक क्षेत्रों को से जोड़े जाने हेतु सड़कों एवं पुलों का निर्माण, विकास एवं रख-रखाव।

(ख) वित्तीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाइयों को वित्त, सहायता, अनुदान तथा सहायिकी हेतु व्यवस्था।

(ग) उद्योग एवं विपणन तथा अन्य वाणिज्यिक काम्प्लेक्सों की बिजली एवं जल आपूर्ति के लिए अवस्थापना का सृजन।

- (घ) सामान्य रूप से व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य अवस्थापना सुविधाओं का सृजन, विकास एवं रख-रखाव।
- (ङ) सम्बन्धित क्षेत्रों में प्रदूषण मुक्त वातावरण का सृजन, विकास एवं रख-रखाव के लिए वित्त, सहायता अनुदान तथा राजसहायता उपलब्ध कराना।
- (च) व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग के विकास से जुड़े या उनकी सुविधा के लिए ऐसे अन्य कार्य, जिसे राज्य सरकार विज्ञप्ति द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (छ) खण्ड (क),(ख),(ग),(घ),(ङ) और (च) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए स्थानीय निकायों एवं सरकारी संस्थानों को वित्त, सहायता अनुदान तथा राजसहायता उपलब्ध कराना।

आप द्वारा शासन को प्रेषित की गयी कार्ययोजनाओं में इस आशय का कोई प्रमाण पत्र अंकित नहीं किया गया है कि "प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (निधि) नियमावली की धारा-14 से आच्छादित है तथा प्रस्तावित कार्यों को पूर्व अथवा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत अथवा प्रस्तावित नहीं किया गया है," जिसके कारण आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जाना संभव नहीं है।

अतः अनुरोध है कि कृपया उक्त आशय का प्रमाण पत्र शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
18/7/2007  
श्रीप्रकाश सिंह  
विशेष सचिव।